उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए–3/ई–1/2026
दिनांक: 03.08.2026

1.वास्तुविद सहायक परीक्षा–2026
2. सम्पत्ति प्रबन्धक परीक्षा–2026
3. माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा–2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथिः– 03.08.2026
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथिः– 03.09.2026
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथिः– 10.09.2026

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन–लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन ही करें।

ऑन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:–

आयोग की Website https://uppsc.up.nic.in पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1- User Instructions
2- View Advertisement
3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन–लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण :– 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तोः– a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in**) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरणः– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरणः– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगेः–

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट **प्रिन्टर आइकन** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोटः– ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' 'प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण– तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई,डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9)(क) परीक्षा के पश्चात् अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(i)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	–	परीक्षा शुल्क रु. 200/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 225/–
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	–	परीक्षा शुल्क रु. 80/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 105/–
(iii)	दिव्यांगजन	–	परीक्षा शुल्क रु. शून्य + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 25/–
(iv)	भूतपूर्व सैनिक	–	परीक्षा शुल्क रु. 80/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 105/–
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	–	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, वास्तुविद सहायक/सम्पत्ति प्रबन्धक तथा माइक्रोबायोलाजिस्ट के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु उ0प्र0 के जिला/जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर अलग–अलग परीक्षा का आयोजन करेंगें। वास्तुविद सहायक/सम्पत्ति प्रबन्धक/क्रीड़ाधिकारी तथा माइक्रोबायोलाजिस्ट के पदों पर चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

नोटः– उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियमावली, 1984 (यथा संशोधित 2013) के विनियम– 14 (2) की संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 03.07.2024 के अनुसार सम्पत्ति प्रबन्धक पद की लिखित परीक्षा हेतु 90 प्रतिशत अंक, एम0बी0ए0/पी0जी0डी0एम0 हेतु 10 प्रतिशत अंक निर्धारित है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसारः–

मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगाः–

क्रम सं0	परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1–	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2–	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3–	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4–	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक

टिप्पणी— अधिमान की गणना हेतु कट—ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. <u>रिक्तियों की संख्या</u>:— वर्तमान में वास्तुविद सहायक परीक्षा—2026 / सम्पत्ति प्रबन्धक / परीक्षा—2026 / माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा—2026 की रिक्तियों की संख्या—37 है। रिक्तियों का पदवार / आरक्षणवार विवरण निम्नवत् है:—

<u>वास्तुविद सहायक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्</u>

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
14	09	00	00	04	01	00	00	00	02

<u>नोट</u>:— (i) सहायक वास्तुविद पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है।

<u>पद की प्रकृति</u>:—समूह—ग, अराजपत्रित।

<u>वेतनमान</u>:—रू0 9300—34800 / —, ग्रेड—पे: 4600 / —, लेवल—7

<u>सम्पत्ति प्रबंधक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्</u>

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
11	06	02	00	02	01	00	00	00	02

<u>नोट</u>:— (i) सम्पत्ति प्रबंधक पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट / बढ़ सकती है।

<u>पद की प्रकृति</u>:—समूह—ग, अराजपत्रित।

<u>वेतनमान</u>:—रू0 9300—34800 / —, ग्रेड—पे: 4600 / —, लेवल—7

<u>माइक्रोबायोलॉजिस्ट, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उ0प्र0</u>

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
12	06	02	00	03	01	00	00	00	02

<u>नोट</u>:— (i) माइक्रोबायोलॉजिस्ट पद हेतु दिव्यांगजन की केवल एल0वी0, एच0एच0, ओ0एल0 तथा डी0डब्ल्यू0 उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट / बढ़ सकती है।

<u>पद की प्रकृति</u>:—समूह—ख, अराजपत्रित।

<u>वेतनमान</u>: लेवल—7, रू0 44900—142400 / —

5. <u>आरक्षण :</u> उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों / उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों / उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों / उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा— उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित / महिला अभ्यर्थियों / उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों और उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

<u>नोट:—</u> (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का—2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु—5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है— दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्तें कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

2. शासनादेश संख्या—39 रिट / का—2 / 2019 दिनांक—26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या— 18 / 1 / 99 / का—2 / 2006 दिनांक—09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर—4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या 11039 / 2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक—16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक—09.01.2007 से प्रस्तर—04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक—16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475 / 2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का—2 / 19 टी.सी.—II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

4. कुशल खिलाड़ियों हेतु नियुक्ति अनुभाग—4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—52 / दो—4 / 75—नियुक्ति—4, दिनांक 11 फरवरी, 1975 एवं शासनादेश संख्या—22 / 21 / 1983—कार्मिक—2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 और उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह—'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

6. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी / उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

7. आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

8. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

9. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

10. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी / उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. <u>आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):—</u> आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या— 22 / 10 / 1976 — कार्मिक—2—85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:—

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो।

7. <u>वैवाहिक प्रास्थिति :—</u> ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. <u>शैक्षिक अर्हता</u>:— आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नवत् अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए।

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	शैक्षिक अर्हताएं
1.	वास्तुविद सहायक (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्)	सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को देवनागरी में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होने के साथ—साथ निम्नलिखित अर्हतायें अवश्य हों:— वास्तुकला में इण्टरमीडिएट सर्टीफिकेट अथवा तीन वर्षीय पूर्णकालिक कोर्स या 4 वर्षीय पार्ट टाइम कोर्स (बाम्बे या महाराष्ट्र सरकार) तथा वास्तुकला एवं नियोजन में परिकल्पना से सम्बन्धित मानचित्र का दो वर्ष का अनुभव <u>अथवा</u> वास्तुकला सहायक (आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप) में उ0प्र0 बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा तथा वास्तुकला नियोजन में परिकल्पना से सम्बन्धित मानचित्रक का तीन वर्ष का अनुभव। **नोट**: अनुभव प्रमाण—पत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी आवास आयुक्त हैं।
2	सम्पत्ति प्रबंधक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	क) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान होना भी आवश्यक है। ख) मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0ए0 अथवा पी0जी0डी0एम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। ग) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधि मान्य नहीं होगी।
3	माइक्रोबायोलॉजिस्ट, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उ0 प्र0	**शैक्षिक अर्हता**:— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी (सूक्ष्म जीव विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता के साथ माइक्रोबायोलॉजिकल (सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक) खाद्य परीक्षण का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **<u>समकक्ष अर्हता एवं अनुभव प्रमाण—पत्र</u>**:— आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 एफ0एस0डी0ए0मु0 / अधियाचन / 285 / 2024 / 5552 दिनांक 03.10.2024 के अनुसार माइक्रोबायोलाजिस्ट (खाद्य) के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता M.Sc. in Microbiology के समकक्ष कोई अर्हता निर्धारित नहीं है तथा उल्लिखित अनुभव प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित विभाग / संस्था के विभागाध्यक्ष / मुख्य प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी होंगे। **अधिमानी अर्हताएं**:— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने:— (एक) प्रदेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:— आवेदन submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

9. <u>आयु सीमा:—</u> (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ii) **<u>अधिकतम आयु सीमा में छूट:—</u> (क)** उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। **(घ)** उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार:—

(एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा परन्तु आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जायेगी।

(तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्हीं अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो।

परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

10. वास्तुविद सहायक / सम्पत्ति प्रबन्धक / माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें:— (1) परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना आयोग द्वारा ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जायेगी। (2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. <u>अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:—</u> (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर / प्रमाण पत्र / अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी / विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम—2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओ0टी0आर0 नं0, जन्मतिथि, पिता / पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(10) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(11) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोला को काला करके दी गयी सूचना के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर व्हाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(12) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति– गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगें एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति–नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(13) परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी –1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(14) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(15) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

नोटः– उक्त बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में योजित स्पेशल अपील संख्या–233/2026 भावना यादव व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व 02 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्थगनादेश पारित किया गया है।

(16) <u>चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/संगत विधियों/प्रभावी शासनादेशों/मा0 आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।</u>

(17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(18) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते है, अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (**परिशिष्ट–1**) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या–453/79–वी–1–15–1(का)14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. यदि अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बॉक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।ब

7. विभिन्न आरक्षित वर्गों हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार वास्तुविद सहायक, सम्पत्ति प्रबन्धक तथा माइक्रोबायोलाजिस्ट पद की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः **परिशिष्ठ–2, परिशिष्ठ–3,** तथा **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है। पद संबंधी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण **परिशिष्ठ–5** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate's personnel details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

- All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having any Objections
- Know your OTR number.
- View Answer Key

<u>LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:</u> On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

<u>परिशिष्ट–1</u>

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर..........................

दिनांक .... पूरा नाम..........................

मुहर .... पद नाम............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/ सुपुत्री .... निवासी .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या– .... दिनांक– ....

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिनकोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक .... तहसील .... जिला ....

राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँः–

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोत्रों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थानः–
दिनांकः–

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण–पत्र

(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____________ son/wife/daughter of Shri__________ Date of Birth (DD/MM/YY) ________ Age ____ years, male/female ___________ registration No. __________ permanent resident of House No. ________ Ward/Village/Street _________Post office_________ District________State__________.
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:
- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is_________

(A) he/she has ________% (in figure)________percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her______ (part of body) as per guidelines (.........number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr..............)	(Dr..............)	(Dr..............)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
with seal	with seal	with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ___________ son/wife/daughter of Shri ____________________ Date of birth (DD/MM/YY) _______ age ________ years, male/ female __________, Registration No. __________ permanent resident of House No. _________ Ward/Village/Street ________ Post Office _______ District ________ State _______, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of
Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

;

B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.......number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
In figures................percent.
In words...percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after............ years............months, and therefore this certificate shall be valid till.... ....
(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs
# - e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/ Smt./Kum.______ son/wife/daughter of Shri ______ Date of birth (DD/MM/YY) ____ age ___ years, male/female____. Registration No. __________ permanent resident of House No. ________ Ward/Village/ Street________Post Office _______ District ________ State_______, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ___________ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			

11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after..................years........................ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ....

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) / पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

सील ....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4 प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

<u>प्रारूप – 1</u>

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक . ... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम...............................

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारूप – 2</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारूप – 3</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारूप – 4</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

क्रमांकः

उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन विभाग

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री..पुत्र / पुत्री..................श्री / श्रीमती.............. .... जिनकी जन्मतिथि ....है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड................ जनपद..............में दिनांक................से .... तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया।

नोटः यह प्रमाण–पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है।

दिनांक : ....

विशेष सचिव, नियोजन विभाग

<u>परिशिष्ट–2</u>

<u>वास्तुविद सहायक परीक्षा</u>

<u>परीक्षा–योजना</u>

<u>प्रश्नपत्र–एक</u> – **वस्तुनिष्ठ प्रकारक।**

प्रश्नपत्र का नाम – सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी।

प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक– 200 (दो सौ)

प्रश्नों की कुल संख्या– 100 (सामान्य अध्ययन् के 75 प्रश्न तथा सामान्य हिन्दी के 25 प्रश्न)।

प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक– 02 (दो)।

समयावधि– 02 (दो) घंटा।

<u>प्रश्नपत्र–दो</u> – **परम्परागत अर्थात लिखित।**

प्रश्नपत्र का नाम – वास्तुकला।

प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक– 300 (तीन सौ)

समयावधि– 03 (तीन) घंटा।

ध्यातव्य है कि उक्त प्रश्नपत्र के अन्तर्गत कुल–15 (पन्द्रह) प्रश्न होंगे तथा वे सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, इनका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

खण्ड–(अ)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न अति लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 75 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 (दस) अंक का होगा]।

खण्ड–(ब)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 20 (बीस) अंक का होगा]।

खण्ड–(स)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 225 एवं प्रत्येक प्रश्न 30 (तीस) अंक का होगा]।

नोटः– उक्त दोनों प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची का निर्धारण होगा।

<u>वास्तुविद सहायक परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>

विषय : सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर और प्रौद्योगिकीः

भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान, कम्प्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें भारत और उत्तर प्रदेश के विकास में वैज्ञानिक विषयों के दिन–प्रतिदिन के अवलोकन और अध्ययन के मामलों सहित उपर्युक्त विषयों के सामान्य अनुप्रयोगों और समझ को शामिल किया जाएगा।

2. भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनः
प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की सामान्य रूपरेखा तथा भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सामान्य समझ।

3. समसामयिक घटनाक्रमः
खेलकूद सहित राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ।

4. भूगोलः
भारत और उत्तर प्रदेश का भूगोलः भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, नगरीकरण, संसाधन और जनसंख्या के विशेष संदर्भ में।

5. सामान्य बौद्धिक क्षमता और सांख्यिकीय विश्लेषणः
गणितीय, आकृति और वर्णमाला श्रृंखला, असमानताएं, समानता, दिशा परीक्षण, तर्क, कथन और तर्कशक्ति, कोडिंग, कैलेंडर, सामाजिक संबंध और घड़ी। आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण–आवृत्ति वितरण, आलेख एवं चित्रों के द्वारा।

6. भारतीय राजव्यवस्थाः
भारतीय राजव्यवस्था का स्वरूप, भारतीय संविधान, पंचायती राज, शासन और राजनीति–उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका), शासन–लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई–गवर्नेंस, सूचना का अधिकार।

7. अर्थशास्त्रः
भारतीय अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और व्यापार, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक प्रणालियाँ और नीतियां–भारतीय संदर्भ में।

8. भारतीय कृषिः
भारतीय कृषि का महत्त्व, कृषि विकास की योजनाएं और कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश और भारत की प्रमुख फसलें, निर्यात और आयात, मृदा, खाद और उर्वरक, पौधों के पोषक तत्व, कीट–नियंत्रण, पशुधन, कृषि उद्यम।

विषय : सामान्य हिन्दी	अंक–विभाजन
1. हिन्दी-वर्ण विचार : स्वर एवं व्यंजन	04
2. विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द	08
3. उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास	08
4. वर्तनी-शुद्धि एवं वाक्य-शुद्धि	06
5. वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द-युग्म (समश्रुत भिन्नार्थक शब्द)	06
6. विरामचिह्न	02
7. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	06
8. हिन्दी-व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक	10

विषयः वास्तुकला

1. डिजाइन, आर्कटेक्चर और प्लानिंगः
डिजाइन के तत्व एवं सिद्धांत, डिजाइन का दर्शन, 2डी एवं 3डी में दृश्य संयोजन, मानवमिति; स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, परिसंचरण–क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर; स्थान एवं योजना मानक; सार्वभौमिक डिजाइन

2. कंस्ट्रक्शन एवं मैटेरियलः
प्राथमिक भवन सामग्री और निर्माण तकनीकः मिट्टी, ईंट, पत्थर, बांस, लकड़ी, चूना; विभिन्न प्रकार की नींव, नमीरोधी, मेहराब और लिंटल, दरवाजे और खिड़कियां, ग्लेजिंग, छतों और टेरेसिंग के प्रकार, सीढ़ियां, लिफ्ट वेल, रैंप, मम्टी, पानी की टंकियां, फर्श और कैविटी वॉल, कंक्रीट, आर.सी.सी., जाली और खोखली ईंट का काम, एम.एस. ग्रिल का काम, एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले पेंट और पॉलिश, अस्थायी संरचनाएं: खाइयों में लकड़ी का काम, शोरिंग, अंडर पिनिंग, मचान, शटरिंग, फॉर्म वर्क और विभाजन दीवारें

3. ड्राइंग, ग्राफिक और प्रेजेंटेशनः
प्रारंभिक रेखाचित्र, प्रस्तुति ड्राइंग, स्केल, कार्यकारी ड्राइंग और विवरण, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, रेविट और अन्य जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पारंपरिक और डिजिटल मोड में अनुमोदन मानचित्र

4. हिस्ट्री और कंटेंपरेरी आर्कटेक्चरः
सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, हिंदू और जैन काल, भारत में मंदिर वास्तुकला, भारत में इस्लामी वास्तुकला, फ्रैंक लॉयड राइट, ली कोर्बुसिए, लुडविग मिएस वान डेर रोहे, चार्ल्स कोरिया, बी.वी. दोशी, अच्युत कानविंदे, राज रेवाल और जोसेफ एलन स्टीन के कार्यों के उदाहरणों के साथ आधुनिक और समकालीन वास्तुकला में रुझान

5. क्लाइमेटोलॉजी, अकूस्टिक, लाइटिंग और इलूमनेशनः
जलवायु के तत्व, जलवायु क्षेत्र, भवनों का अभिविन्यास, जलवायु–उत्तरदायी डिजाइन, उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में भवनों की विशेषताएं, आरामदायक स्थितियां और सूर्य पथ आरेख, वास्तुशिल्प ध्वनिकी, प्रकाश और रोशनी के बुनियादी सिद्धांत और अनुप्रयोग

6. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और बिल्डिंग सर्विसेजः
जल आपूर्ति स्रोत, जल पाइपिंग प्रणाली, स्वच्छता के मूल सिद्धांत, एसटीपी और वर्षा जल संचयन, विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए बाथरूम, रसोईघर और शौचालय योजना, सरल विद्युत लेआउट, तारों, स्विचों और नलिकाओं के प्रकारों की समझ, लिफ्टों, एस्केलेटरों की समझ, आग का पता लगाना और अग्निशमन तथा एचवीएसी के सिद्धांत

7. अप्लाइड मकैनिक्स स्ट्रक्चरः
इमारतों के विभिन्न तत्वों पर लागू अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के सिद्धांत और समझ, बेंडिंग मूवमेंट और कतरनी बल (shear force), झुकने और कतरनी तनाव (shear stress), बीम, स्तंभों और स्ट्रट्स के ढलान और विक्षेपण, स्टील और आरसीसी संरचनाओं की मूल बातें

8. एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और स्पेसिफिकेशनः
मात्रा निकालने की विधियाँ, प्रारंभिक और विस्तृत आकलन, दरों का विश्लेषण और सामान्य विनिर्देश

9. हाउजिंग और सिटी प्लैनिंगः
आवास एवं नगर नियोजन के मूल सिद्धांतों का परिचय, नियोजन प्रक्रिया, मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना एवं अन्य का संक्षिप्त परिचय

10. प्रोफेशनल प्रैक्टिस और बिल्डिंग बाय लॉजः
व्यावसायिक अभ्यास और नैतिकता, वास्तुकला परिषद और भारतीय वास्तुकार संस्थान की भूमिका, व्यावसायिक आचार संहिता, प्रभारों का पैमाना, वास्तुकारों के कर्तव्य, जिम्मेदारियां और दायित्व, विकास नियंत्रण – एफएआर, घनत्व और भवन उपनियम और ईसीएस की अवधारणा

परिशिष्ठ–3
सम्पत्ति प्रबंधक परीक्षा
परीक्षा–योजना

प्रश्नपत्र की संख्या	एक।
प्रश्नपत्र का नाम	सामान्य अध्ययन ।
प्रश्नपत्र का प्रकार	परम्परागत अर्थात लिखित
प्रश्नपत्र की अवधि	03:00 (तीन) घंटा।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	400 (चार सौ)

प्रश्नों की कुल संख्या– 15 (पंद्रह), सभी प्रश्न समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा तथा इनका स्वरूप तथा प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक निम्नवत् होगा–

खण्ड (अ)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न अति लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 75 एवं प्रत्येक प्रश्न 15 (पन्द्रह) अंक का होगा] ।

खण्ड (ब)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 125 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 (पच्चीस) अंक का होगा]।

खण्ड (स)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 300 एवं प्रत्येक प्रश्न 40 (चालीस) अंक का होगा]।

सम्पत्ति प्रबंधक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय : सामान्य अध्ययन
इकाई–1

गणित

समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणियाँ, अनुपात, प्रतिशत, औसत, समय और दूरी, कार्य, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, छूट, साझेदारी, मिश्रण, वर्गमूल और घनमूल, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर आधारित समस्याओं का हल। बहुपद, सरल और द्विघात समीकरणों का हल। ज्यामितीय आकृतियां तथा उनके गुण, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्तों के गुण तथा उनके क्षेत्रफल, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना ।

इकाई–2

सामान्य हिन्दी

हिन्दी की शब्द–सम्पदाः तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।

पत्राचारः महत्त्व, पत्र–लेखन की विशेषताएँ, पत्र लेखन की विधि, पत्र के प्रकार, शासकीय या सरकारी पत्र के विविध रूप-सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय–ज्ञाप, प्रेस विज्ञप्ति।

शब्द–निर्माणः सन्धि–परिभाषा, सन्धि के भेद-स्वर संधि और उसके भेद, व्यंजन सन्धि, विसर्ग सन्धि। समास–परिभाषा, समास के भेद, सन्धि और समास में अन्तर। उपसर्ग–परिभाषा, संस्कृत उपसर्ग, हिन्दी उपसर्ग, प्रत्यय–परिभाषा, प्रकार/भेद ।

देवनागरी लिपिः लिपि की परिभाषा, नामकरण, विकास, विशेषताएँ (गुण), सीमाएँ (दोष), सुधार के उपाय।

हिन्दी व्याकरणः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की परिभाषा एवं उनके भेद।

संक्षेपण एवं पल्लवनः संक्षेपण- अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएँ, महत्त्व, संक्षेपण की विधि, संक्षेपण के लिए ध्यातव्य निर्देश, **पल्लवन–** अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएँ, पल्लवन की लेखन प्रक्रिया में अपेक्षित सावधानियाँ।

विरामचिह्नः परिभाषा, महत्त्व, विरामचिह्न के प्रकार।

इकाई–3

कम्प्यूटर

कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञानः कंप्यूटर की मौलिक अवधारणाएँ, इतिहास और अनुप्रयोग, कंप्यूटर संगठन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, संख्या प्रणाली, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर भाषाएं।

ऑपरेटिंग सिस्टम का संसाधन प्रबंधक के रूप में परिचय तथा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स/लिनक्स।

यूजर इंटरफेस के मुख्य पहलू।

ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्सः दिनांक, समय, डिस्प्ले और माउस प्रॉपर्टीज को बदलना। प्रिंटर जोड़ना और हटाना।

फाइल और डायरेक्टरी प्रबंधन का मूल ज्ञान।

एमएस ऑफिस का मूलभूत ज्ञान ।

LAN, WAN, MAN, PAN और नेटवर्क डिवाइस का मूलभूत ज्ञान।

इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और सुरक्षा का सामान्य परिचयः इंटरनेट की अवधारणा और अनुप्रयोग, वर्ल्ड वाइड वेब (WWW), ई–मेल, कंप्यूटर के लिए खतरें, वायरस और इसके प्रकार, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। साइबर अपराध और साइबर कानून।

इकाई–4

सामान्य ज्ञान

1. भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की सामान्य समझ ।
2. विश्व एवं भारत के सामान्य भूगोल की समझ।
3. भारतीय राजनीतिक प्रणाली, भारतीय संविधान एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत ज्ञान।
4. सामान्य विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ एवं उनका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, पर्यावरणीय मुद्दे, सतत् विकास लक्ष्य एवं आपदा प्रबंधन। भारतीय कृषि की सामान्य समझ और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका।
5. खेल–कूद सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ।

इकाई–5

तर्क शक्तिः सांकेतिक भाषा परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, वर्गीकरण, कलेण्डर एवं घड़ी, तार्किक निगमन तथा समस्याओं का तार्किक हल, पर आधारित प्रश्न।

परिशिष्ट–4
माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा
परीक्षा योजना

प्रश्नपत्र–एक –	वस्तुनिष्ठ प्रकारक।
प्रश्नपत्र का नाम –	सामान्य अध्ययन।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	200 (दो सौ)
प्रश्नों की कुल संख्या–	100 (एक सौ) ।
प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक–	02 (दो)।
समयावधि–	02 (दो) घंटा।
प्रश्नपत्र–दो –	परम्परागत अर्थात लिखित ।
प्रश्नपत्र का नाम –	माइक्रोबायोलॉजी।
प्रश्नपत्र हेतु कुल निर्धारित अंक–	300 (तीन सौ)
समयावधि–	03 (तीन) घंटा।

ध्यातव्य है कि उक्त प्रश्नपत्र के अन्तर्गत कुल–15 (पन्द्रह) प्रश्न होंगे तथा वे सभी–अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, इनका स्वरूप निम्नवत् होगाः–

खण्ड (अ)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न अति लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 75 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 (दस) अंक का होगा]।

खण्ड (ब)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न लघु उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 20 (बीस) अंक का होगा]।

खण्ड (स)– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय [उत्तरों की शब्द सीमा 225 एवं प्रत्येक प्रश्न 30 (तीस) अंक का होगा]।

नोटः– उक्त दोनों प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची का निर्धारण होगा।

माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय–सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञानः सामान्य विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान) की मूलभूत अवधारणाएँ और दैनिक जीवन में इनका अनुप्रयोग।

2. कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकीः कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की सामान्य जानकारी।

3. भारत का इतिहासः भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की सामान्य समझ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ज्ञान ।

4. भूगोलः विश्व और भारत के भूगोल की सामान्य समझ। आपदाः जोखिम, मुख्य पहलू एवं प्रबंधन।

5. भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधानः भारतीय राजव्यवस्था और संविधान का मूलभूत ज्ञान।

6. भारतीय कृषिः भारतीय कृषि का मूलभूत ज्ञान एवं भारत के कृषि कार्यक्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका।

7. अर्थव्यवस्थाः भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ। भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम।

8. समसामयिक घटनाएँः खेलकूद सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ ।

विषय – माइक्रोबायोलॉजी
इकाई–1
सूक्ष्मजीव विज्ञान का इतिहास, सूक्ष्मदर्शिकी और सूक्ष्मजीव विविधता

सूक्ष्मजीव विज्ञान का इतिहास, जीवनोत्पत्ति बनाम अजीवोत्पत्ति सिद्धांत, रोगों का जीवाणु सिद्धांत, कोच के नियम, सूक्ष्मजीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान, सूक्ष्मजीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, यूकैरियोट्स की सामान्य संरचना और विशेष लक्षण, यूबैक्टीरिया – सूक्ष्मजीवी कोशिका की आकारीय और अति सूक्ष्म संरचना, नीला–हरा शैवाल, मायकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरियोफेज– लाइटिक और लाइसोजेनिक जीवन चक्र।

सूक्ष्मदर्शिकी सिद्धांत, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और कंफोकल सूक्ष्मदर्शीः सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग।

बैक्टीरिया के वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत, पॉलीफेसिक टैक्सोनॉमी, आणविक दृष्टिकोण (16S rRNA अनुक्रमण)

इकाई–2

सूक्ष्मजीवी नियंत्रण, संवर्धन, वृद्धि और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थ

सूक्ष्मजीव नियंत्रण– प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक विधियाँ जिनमें जैविक संरक्षक भी शामिल हैं।

पोषण की मूल अवधारणाएँ, पोषण श्रेणियों के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, विभिन्न कल्चर मीडियाः कल्चर के घटक, प्राकृतिक और कृत्रिम मीडिया, रासायनिक रूप से परिभाषित मीडिया, जटिल मीडिया, चयनात्मक, विभेदक और एनरिचमेंट मीडिया ।

शुद्ध कल्चर और कल्चर तकनीकें, बैक्टीरिया में वृद्धि प्रजनन, वृद्धि वक्र, वृद्धि गतिकी और पैरामीटर, निरंतर और सिन्क्रोनस वृद्धि और वृद्धि के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ।

सूक्ष्मजीवी कल्चर के संरक्षण की विभिन्न विधियाँ, सूक्ष्मजीवी कल्चर संग्रह बैंक।

खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पौधे और जन्तु, ट्रांसजेनिक पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ (गोल्डन राइस, बीटी बैंगन, मक्का, टमाटर, सोयाबीन)।

इकाई–3

खाद्य का सूक्ष्मजीवी प्रदूषण, विकृति और संरक्षण

खाद्य पदार्थों का सूक्ष्य जीवों द्वारा संक्रमणः जैसे मांस, मछली, अंडा, फल, सब्जियाँ, प्रसंस्कृत सब्जियाँ, फलों के रस, आटा, डिब्बाबंद खाद्य, पनीर, ब्रेड और बेकरी उत्पाद, चीनी और चीनी उत्पाद, आवश्यक तेल, मसाले और अन्य सामग्री।

खाद्य प्रदूषण के विभिन्न स्रोतः वायु, जल एवं मृदा, खाद्य के हैंडलिंग और प्रसंस्करण के दौरान संक्रमण।

खाद्य विकृति के सामान्य सिद्धांत, खाद्य संरक्षण के अंतर्निहित सिद्धांत, खाद्य संरक्षण की विधियाँ– उच्च तापमान, निम्न तापमान, विकिरण, सुखाना, अवायवीय परिस्थितियाँ, खाद्य विकृति को प्रभावित करने वाले कारक।

दूध का सूक्ष्मजीव विज्ञानः दूध की सूक्ष्मजीवी विकृति, दूध जनित रोग, नियंत्रण उपाय, एमबीआरटी, रेजाज्यूरिन, फॉस्फेटेज, पीसीआर परीक्षण द्वारा सूक्ष्मजीवी परीक्षण और विश्लेषण।

पाश्चराइजेशनः मानक निर्धारण, विधियाँ।

प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और सिंबायोटिक्स की अवधारणा और उनके अनुप्रयोग।

इकाई–4

खाद्य सूक्ष्मजीवी विश्लेषण और सुरक्षा

खाद्य की सूक्ष्मजीवी गुणवत्ता निर्धारण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके, क्रोमैटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, प्रतिरक्षात्मक (ELISA, ELISPOT), सिद्धांत और अनुप्रयोग) और आणविक जैविक (PCR, वेस्टर्न ब्लॉटिंग सिद्धांत और अनुप्रयोग) विधियाँ। खाद्य गुणवत्ता प्रबंधन में गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP), GLP हेतु OECD दिशानिर्देश, NABL.

खाद्य सुरक्षा उद्देश्य (FSO), सूक्ष्मजीवी मापदंड, खाद्य कानूनः प्रवर्तन और सरकारी नियामक प्रथाएँ एवं नीतियाँ, FDA, EPA, HACCP, FSA अधिनियम (संक्षिप्त में मूल अवधारणाएँ)।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, FSSAI, खाद्य से संबंधित विभिन्न अधिनियम जैसेः खाद्य गुणवत्ता संरक्षण अधिनियम (FQPA), खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम–1954, फल उत्पाद आदेश– 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश–1973, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश– 1992, NFSA-2013.

इकाई–5

सूक्ष्मजीवी खाद्य उत्पाद और अपशिष्ट प्रबंधन

किण्वनः समरूप एवं विषमरूप, एसिटिक अम्ल किण्वन और संबंधित सूक्ष्मजीवी। किण्वित खाद्य जैसे– सॉरक्रॉट, सॉसेजेज, टेम्पेह, अचार, इडली, सोया सॉस, मिसो, नाटो, पॉई, किण्वित दुग्ध उत्पाद, पनीर।

किण्वित मादक उत्पाद जैसे बीयर, वाइन, व्हिस्की खाद्य उद्योग में प्रयुक्त सूक्ष्मजीवी एंजाइम, खाद्य एवं चारा के रूप में कवक से प्राप्त मायकोप्रोटीन, मशरूम की खेती, खाद्य के रूप में शैवाल।

खाद्य को विकृत करने वाले प्रमुख सूक्ष्मजीव, उनके द्वारा उत्पादित विष एवं उनका कार्य–तंत्र।

उद्योगीय खाद्य अपशिष्ट के भौतिक– रासायनिक मापदंडः BOD, COD, DO, pH,TDS, भारी धातुएँ, TOC, TN (CPCB), भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार)।

अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विधियों के सामान्य सिद्धांत, एक्टीवेटेड श्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, कॉन्सट्रेक्टेड वेटलैण्ड, अप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैकेट (UASB), फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर (FBR).

<u>परिशिष्ट–5</u>

<u>पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ</u>

1. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, वास्तुविद सहायक ग्रेड–प्रथम सेवा नियमावली–1998
2. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सम्पत्ति प्रबंधक सेवा विनियम, 1984 (यथा संशोधित)
3. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक (खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला) सेवा नियमावली, 2017 (यथा संशोधित)

सचिव